

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

-:: विविध आदेश ::-

क्र.-108/सी0जे0एम0/2024

सिवनी, दिनांक:-24/09/2024

मैं तेज प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी(म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में समय 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करता हूँ तथा यदि रिमांड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, तो उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदनों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही निष्पादित की जावेगी।

सिवनी मुख्यालय -

क्र०	न्यायिक अधिकारी	रिमांड दिनांक	
		माह अक्टूबर 2024	माह नवम्बर 2024
1.	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	02/10/2024	02 & 16/11/2024
2.	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	-	01, 03, 24/11/2024
3.	श्री अंशुल ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	10 & 11/10/2024	10/11/2024
4.	सुश्री पायल परमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	09/10/2024	15/11/2024
5.	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	27 & 28/10/2024	17/11/2024
6.	श्रीमती अर्चना यादव, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	12 & 13/10/2024	-
7.	श्री विक्रम सिंह डाबर, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	19 & 20/10/2024	-
8.	श्री निमिष राजा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	29, 30 & 31/10/2024	-
9.	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	06/10/2024	-

तहसील लखनादौन, जिला सिवनी -

क्र०	न्यायिक अधिकारी	रिमाण्ड दिनांक	
		माह अक्टूबर 2024	माह नवम्बर 2024
1.	सुश्री सुमित्रा ताहेद, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	06, 27, 28, 29, 30 & 31/10/2024	10, 15 & 16/11/2024
2.	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	09, 10, 11, 12 & 13/10/2024	17 & 24/11/2024
3.	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	2, 19 & 20/10/2024	01, 02 & 03/11/2024

तहसील घंसौर, जिला सिवनी -

क्र०	न्यायिक अधिकारी	रिमांड दिनांक
1.	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जे.एम.एफ.सी. घंसौर जिला-सिवनी	माह अक्टूबर एवं नवम्बर-2024 के समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।


तहसील केवलारी, जिला सिवनी -

क्र०	न्यायिक अधिकारी	रिमांड दिनांक
1.	श्री अजय कुमार अहिरवार, जे.एम.एफ.सी. केवलारी, जिला-सिवनी	माह अक्टूबर एवं नवम्बर-2024 के समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमांड डियूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।


नोट:-

- रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 द०प्र०सं० के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे आवेदन जिनमें 24 घण्टे के अंदर कथन लिया जाना अनिवार्य है, उनका नियमानुसार कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
- उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी आपसी सहमति से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में लिखित सहमति प्रेषित करते हुए आपस में रिमाण्ड डियूटी बदल सकते हैं।
- किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। उनके अवकाश या स्थानांतरण होने की दशा में किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य रिमाण्ड/प्रतिप्रेषण कार्य संपादित करेंगे। प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने की सूचना बोर्ड के सदस्य को आवश्यक रूप से देंगे, दोनों के अनुपस्थिति में उस दिन रिमाण्ड डियूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी द्वारा किया जावेगा।
- यदि किसी कारणवश उपरोक्त नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो उस तिथि का सिवनी मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य माह अक्टूबर में-श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी.सिवनी द्वारा एवं माह नवम्बर में-श्री निमिष राजा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। यदि उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं रहते हैं, तब मुख्यालय सिवनी में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा रिमाण्ड डियूटी निष्पादित की जावेगी। इसी प्रकार तहसील मुख्यालय लखनादौन का रिमाण्ड कार्य माह अक्टूबर में-श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन द्वारा तथा माह नवम्बर में-सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन द्वारा निष्पादित किया जावेगा। यदि उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं रहते हैं, तब मुख्यालय लखनादौन में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड डियूटी कार्य निष्पादित किया जावेगा।
- तहसील न्यायालय घंसौर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड डियूटी के अनुसार तहसील न्यायालय लखनादौन के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। तहसील मुख्यालय लखनादौन के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी ठोस कारण से अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में दोनों तहसीलों के रिमाण्ड कार्य मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।
- तहसील न्यायालय केवलारी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड डियूटी के अनुसार जिला मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।

अनुमोदित:-


24.9.24
(सतीश चन्द्र राय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-सिवनी(म.प्र.)


(तेज प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिवनी (म०प्र०)

प्रतिलिपि:—

01. कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
04. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी की ओर सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक सिवनी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिवनी जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
06. जिला नाजिर, जिला न्यायालय सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी, जिला सिवनी को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
07. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम जिला न्यायालय सिवनी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
08. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।

24/9/24
(तेज प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिवनी (म०प्र०)

